

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज एवं ग्रा0अभि0से0अनु0-2
संख्या- 500 /XII-2/2018/77(C1)/2007
देहरादून दिनांक 30 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय आदेश सं0 605/XII-2/2012/93(17)/2006, दिनांक 30.10.2012 द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता (सिविल) की क्रमांक 40-75 तक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी थी। उक्त ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध श्री प्रमोद गंगाड़ी, सहायक अभियन्ता एवं अन्य द्वारा मा0 लोक सेवा अधिकरण नैनीताल खण्डपीठ में वाद सं0 07/एन0बी0/डी0बी0/2014 दाखिल किया गया जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 10.08.2016 को निम्न निर्णय पारित किया गया:-

"The claim petition is allowed. The final seniority list dated 30.10.2012 issued by respondent no.1 (Annexure-1 to the petition) is hereby quashed and set aside. The respondent no.1 is directed to redraw the seniority list of the petitioner vis-à-vis private respondents in accordance with Rule-8 of the Uttrakhand Government Servants Seniority Rules, 2002 and Rule 21 of the Uttranchal Rural Engineering (Group B) Service Rules, 2006 as discussed above treating that the petitioners and private respondents had been appointed in the recruitment year 2010-11, within four months from the date of presentation of order to respondent no. 1. No order as to costs.

2. मा0 लोक सेवा अधिकरण के उपरोक्त आदेश के क्रम में शासन के कार्यालय आदेश सं0 224/XII-2/2017/77(01)/2007, दिनांक 13.04.2017 के द्वारा सहायक अभियन्ता (सिविल) की क्रमांक 40 से 86 तक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए आपत्तियाँ मांगी गयी थी। उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दाखिल रिट याचिका सं0 186(एस0/बी0)/2017 श्री जीवन सिंह धर्मशक्तू बनाम राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 05.05.2017 द्वारा उक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 13.04.2017 पर कार्यवाही हेतु रोक लगायी गयी तथा उक्त रिट में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2018 को निम्न आदेश पारित किये गये:-

There are two courses open to the petitioner. One is to challenge the office order dated 13-04-2017 before the Public Services Tribunal and another is to file a representation against the seniority list dated 13-04-2017

We dispose of the writ petition by giving liberty to the petitioner to file representation against the tentative seniority list on the basis of Office Order dated 13-04-2017 or to challenge the tentative Seniority list

circulated vide Office Order dated 13-04-2017 by filing substantive petition before the Public Services Tribunal.

In the eventually of the petitioner choosing to file representation against the tentative seniority list, the same shall be considered in accordance with law.

Pending application, if any, also stands disposed of accordingly.

3. उक्त के क्रम में शासन के कार्यालय आदेश सं० 224/XII-2/2017/77(01)/2007, दिनांक 13.04.2017 द्वारा निर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सापेक्ष प्राप्त प्रत्यावेदनों को निम्नानुसार निस्तारित किया जाता है:—

(1) श्री वी०के० जोशी, श्री आर० के० सिंह, श्री रामसेवक सेमवाल, श्री गीताराम उनियाल, श्री के०के० जोशी, श्री संजय भारती, श्री पंकज कुमार, श्री बृजमोहन आर्य, श्री अनिल कुमार, श्री ललित चन्द्र पाण्डेय एवं श्री राजेन्द्र चन्द्र मुनगली सहायक अभियन्ताओं द्वारा दिनांक 13.04.2017 को निर्गत सहायक अभियन्ता सिविल की प्रख्यापित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अपने पूर्व निर्धारित क्रमांकों में हुए परिवर्तन के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त करते हुए अवगत कराया है कि ज्येष्ठता का निर्धारण ज्येष्ठता नियमावली के नियम-8(1) के अनुसार मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर मा० लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 10.08.2016 के अनुसार निर्धारित करते हुए अन्तिम ज्येष्ठता प्रख्यापित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों एवं उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो, किन्तु उक्त नियमावली के नियम 8(3) में स्पष्ट है कि जहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियाँ पदोन्नति एवं सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाये, वहाँ पदोन्नत व्यक्तियों की सीधी भर्ती किये गये सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहाँ तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त उक्त नियमावली के नियम 8(3) के प्रतिबन्ध (दो) में उल्लेख किया गया है कि "जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हो, और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों की प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाये, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियाँ की जायें किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे"। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ज्येष्ठता का निर्धारण ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर ही वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है।

तथा इसमें मा0 लोक सेवा अधिकरण के वाद सं0 07/2014 में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2016 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है। अतः आपत्ति मान्य नहीं है।

(ii) श्री वी0के0जोशी द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है कि सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ताओं के प्रत्यावेदनों का शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

आपत्तिकर्ता का कथन स्पष्ट नहीं है कि सीधी भर्ती के किन सहायक अभियन्ताओं द्वारा किस तिथि के प्रत्यावेदनों का शासन द्वारा उत्तर नहीं दिया गया। अतः आपत्ति मान्य नहीं है।

(iii) श्री के0के0 जोशी, आर0के0 सिंह, श्री रामसेवक सेमवाल, श्री संजय भारती एवं गीताराम उनियाल, सहायक अभियन्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है कि वरिष्ठता का निर्धारण चयन वर्ष के आधार पर न करते हुए रिक्त वर्ष के आधार पर किया गया है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वरिष्ठता का निर्धारण रिक्त वर्ष के आधार पर न करते हुए चयन वर्ष के आधार पर ही किया गया है। अतः आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति मान्य नहीं है।

(iv) श्री के0के0 जोशी, आर0के0 सिंह, श्री रामसेवक सेमवाल एवं गीताराम उनियाल, सहायक अभियन्ता द्वारा ज्येष्ठता सूची में श्री मुकेश कुमार भट्ट एवं श्री रमेश चन्द्र जिनकी नियुक्ति विभाग में दिनांक 04.04.2013 को हुयी है, को वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने में आपत्ति व्यक्त की गयी है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मा0 लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत संशोधित चयन संस्तुति दिनांक 01.08.2012 के अनुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में यथा स्थान सम्मिलित किया गया है। अतः आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति मान्य नहीं है।

(v) श्री भूपाल सिंह मेहरा द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है कि मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.08.2016 द्वारा क्रमांक 40 से 75 तक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त किया गया है परन्तु शासन द्वारा 40 से 86 तक की सूची को संशोधित किया गया है एवं क्रमांक 1 से 39 को पृथक रखा गया है।

इस सम्बन्ध में क्रमांक 1 से 39 तक की वरिष्ठता पृथक कार्यालय आदेश दिनांक 25.09.2009 द्वारा निर्गत होने एवं मा0 लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के अनुपालन में पृथक से रखा गया है। अतः आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति मान्य नहीं है।

(vi) श्रीमती मीनल गुलाटी द्वारा ज्येष्ठता नियमावली के नियम-8(3) एवं इसके प्रतिबन्ध के अनुसार रिक्त वर्ष 2003-04 एवं 2005-06 की रिक्तियों में सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ताओं के नाम शीर्ष पर नहीं रखे जाने के सम्बन्ध में आपत्ति व्यक्त करते हुए उल्लेख किया गया है कि

रिक्ति वर्ष 2003-04 तथा 2005-06 की रिक्तियों में सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ताओं के नाम शीर्ष पर रखकर ही अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी की जाये।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हो, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों एवं उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी। जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हो, किन्तु उक्त नियमावली के नियम 8(3) में स्पष्ट है कि जहाँ किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियाँ पदोन्नति एवं सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाये, वहाँ पदोन्नत व्यक्तियों की सीधी भर्ती किये गये सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहाँ तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त उक्त नियमावली के नियम 8(3) के प्रतिबन्ध (दो) में उल्लेख किया गया है कि जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटा से कम हो, और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों की प्रति नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाये, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियाँ की जायें किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।" इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता (सि0) की वरिष्ठता में स्थान उक्त नियमावली के नियम 8 के अनुसार उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि, चयन वर्ष तथा मा0 लो सेवा अधिकरण के निर्णय दिनांक 10.08.2016 के अनुसार किया गया है। अतः आपत्ति मान्य नहीं है। अतः रिक्ति वर्ष के आधार पर चयनित सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के नाम शीर्ष पर रखे जाने का औचित्य नहीं है।

(VII) श्री गीताराम उनियाल एवं श्री रामसेवक सेमवाल द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है कि विभाग द्वारा मा0 लोक सेवा अधिकरण में सुनवाई के समय अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया और न ही इस निर्णय के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में अपील की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विभाग द्वारा मा0 लोक सेवा अधिकरण में शपथ पत्र नियमानुसार ससमय दाखिल किये गये हैं एवं उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची लोक सेवा अधिकरण के निर्णय के क्रम में ही निर्गत की गयी है। अतः आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति मान्य नहीं है।

(VIII) श्री गीताराम उनियाल, श्री आर0के0 सिंह एवं श्री रामसेवक सेमवाल सहायक अभियन्ताओं द्वारा दिनांक 13.04.2017 को जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को निरस्त करते हुए पूर्व में दिनांक 30.10.2012 को निर्गत अन्तिम वरिष्ठता सूची को पुर्नजीवित करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.08.2016 के द्वारा सहायक अभियन्ता (सि0) की दिनांक 30.10.2012 को निर्गत अन्तिम वरिष्ठता

सूची को खारिज करते हुए पुनः नई वरिष्ठता सूची निर्गत किये जाने के निर्देशों के क्रम में दिनांक 13.04.2017 को जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी है। अतः आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

(IX) श्री वी०के० जोशी द्वारा आपत्ति की गयी है कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का कोटा 50-50 प्रतिशत बताया गया है, जो गलत है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तरांचल ग्रामीण अभियन्त्रण (समूह ख) सेवा नियमावली, 2006 के भाग-3 के नियम-5 भर्ती का स्रोत के अनुसार निर्धारित है। वरिष्ठता का निर्धारण भर्ती स्रोत तथा ज्येष्ठता नियमावली के नियम 8 के अनुसार किया गया है।

(X) श्री कमलेश कुमार जोशी एवं श्री विनोद कुमार जोशी, सहायक अभियन्ता द्वारा वरिष्ठता निर्धारण में भी डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता के 8.33 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती के डिग्रीधारी पदों में सम्मिलित करते हुए चकानुकम लगाया जाने की अपेक्षा की गयी है ताकि दोनों संवर्गों का विहित प्रतिशत 50-50 प्रतिशत बना रहे एवं डिग्रीधारी कोटे से पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं को ज्येष्ठता निर्धारण में न्याय मिल सकें।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है उत्तरांचल ग्रामीण अभियन्त्रण समूह "ख" सेवानियमावली, 2006 के नियम 5 के अनुसार सहायक अभियन्ता के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी- क- 41-2/3 प्रतिशत रिक्तियाँ आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और,

ख- 8-1/3 प्रतिशत रिक्तियाँ मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता और संगणको में से जो भर्ती के प्रथम दिवस को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियन्त्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो या इन्सीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का सहयुक्त सदस्य हो तथा कनिष्ठ अभियन्ता अथवा संगणक के रूप में भर्ती के वर्ष प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पात्र व्यक्ति उपलब्ध होने की दशा में आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:

परन्तु-

यदि इस खण्ड के अधीन उपयुक्त या पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो ऐसी रिक्तियाँ आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जा सकती है। अतः आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

श्री भूपाल सिंह मेहरा एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा द्वारा अपनी-अपनी जन्म तिथि में त्रुटि होने की आपत्ति की गयी है। अतः श्री मेहरा एवं मुकेश कुमार की आपत्ति स्वीकार कर सेवा अभिलेखों के अनुसार उनकी जन्म तिथि सही अंकित कर दी गयी है।

(XI) श्री राजकुमार, सहायक अभियन्ता द्वारा ज्येष्ठता निर्धारण में कनिष्ठ अभियन्ताओं की मूल ज्येष्ठता के कम में श्री जीवन सिंह धर्मशक्तू व श्री दिनेश कुमार से आगे अपनी ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता का निर्धारण उनकी पूर्ववर्ती निर्धारित वरिष्ठता सूची में प्राप्त स्थान के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है।

4. अतः शासन के कार्यालय आदेश सं० 224/XII-2/2017/77(01)/2007, दिनांक 13.04.2017 के द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता (सिविल) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित करते हुए मांगी गयी आपत्तियों के सापेक्ष उक्तानुसार प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण करते हुए निम्नानुसार अन्तिम ज्येष्ठता सूची का प्रख्यापन किया जाता है:-

वरिष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	श्रेणी	मौलिक नियुक्ति की तिथि	भर्ती का श्रोत
1	2	3	4	5	6
40	सर्वश्री श्रीपति डोभाल	18.03.1969	सामान्य	22.01.2008	पदोन्नति द्वारा
41	योगेन्द्र सिंह बिष्ट	10.03.1955	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
42	प्रमोद गंगाड़ी	12.11.1983	सामान्य	30.06.2011	सीधी भर्ती
43	धर्मवीर सिंह	01.04.1954	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
44	नितिन पाण्डेय	15.07.1977	सामान्य	30.06.2011	सीधी भर्ती
45	केशवलाल टोडरिया	09.06.1956	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
46	मुकेश कुमार भट्ट	10.07.1975	सामान्य	04.04.2013 (आयोग की संशोधित संस्तुति के अनुसार स्थान दिया गया)	सीधी भर्ती
47	गिरीश प्रसाद बड़धवाल	28.09.1957	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
48	अमित भारतीय	10.05.1985	(अनु०जाति०)	30.06.2011	सीधी भर्ती
49	गीताराम उनियाल	15.05.1961	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
50	अल्ला दिया	12.11.1977	(अ०पि०व०)	30.06.2011	सीधी भर्ती
51	रतनदेव रयाल	03.04.1954	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
52	श्रीमती मीनल गुलाटी	15.11.1976	सामान्य	30.06.2011	सीधी भर्ती
53	रामसेवक सेमवाल	10.07.1958	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
54	रमेश चन्द्र	16.09.1976	(अनु०जाति०)	04.04.2013 (आयोग की संशोधित संस्तुति के अनुसार स्थान दिया गया)	सीधी भर्ती
55	रामनिवास शाक्य	01.01.1954	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
56	मो०नासिर हसन	14.11.1974	(अ०पि०व०)	30.06.2011	सीधी भर्ती
57	विनोद कुमार देवरानी	03.01.1956	सामान्य	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
58	दिनेश कुमार	10.06.1970	(अनु०जाति०)	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
59	देवेन्द्र प्रसाद जोशी	18.06.1960	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
60	आनन्द कुमार ध्यानी	12.10.1957	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा

61	देवी प्रसाद ढौंडियाल	14.06.1958	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
62	राजेन्द्र चन्द्र मुनगली	05.05.1959	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
63	देवेन्द्र सिंह लिंगवाल	01.12.1959	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
64	सुरेन्द्र सिंह राणा	28.02.1957	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
65	ललित चन्द्र पाण्डे	01.09.1961	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
66	राजकुमार सिंह	07.07.1960	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
67	भूपाल सिंह मेहरा	07.07.1959	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
68	बहादुर राम आर्य	12.08.1956	(अनु०जाति०)	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
69	जीवन सिंह धर्मशक्तू	05.02.1963	(अनु० जन जाति०)	26.08.2010	पदोन्नति द्वारा
70	अनिल कुमार	27.06.1968	(अनु०जाति०)	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
71	पंकज कुमार	21.07.1970	(अनु०जाति०)	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
72	संजय भारती	03.01.1968	(अनु०जाति०)	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
73	कमलेश कुमार जोशी	15.06.1968	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
74	संजय शर्मा	31.05.1964	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
75	विनोद कुमार जोशी	07.04.1970	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
76	गिरीश चन्द्र जोशी	03.03.1952	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
77	चन्दन सिंह बिष्ट	05.02.1953	सामान्य	08.03.2011	पदोन्नति द्वारा
78	बद्रीदत्त पालीवाल	20.03.1960	सामान्य	05.11.2012	पदोन्नति द्वारा
79	श्री मुकेश कुमार शर्मा	27.07.1957	सामान्य	05.11.2012	पदोन्नति द्वारा
80	श्री नरेन्द्र सिंह रावत	10.09.1957	सामान्य	05.11.2012	पदोन्नति द्वारा
81	श्री भुवनेश चन्द्र बौड़ाई	16.10.1961	सामान्य	05.11.2012	पदोन्नति द्वारा
82	श्री दर्मियान सिंह बागड़ी	12.05.1969	सामान्य	05.11.2012	पदोन्नति द्वारा
83	श्री वृजमोहन आर्य	25.03.1967	सामान्य	05.11.2012	पदोन्नति द्वारा
84	श्री नवीन चन्द्र काण्डपाल	02.01.1960	सामान्य	08.11.2013	पदोन्नति द्वारा
85	श्री अरविन्द मोहन गर्ग	01.09.1957	सामान्य	08.11.2013	पदोन्नति द्वारा
86	श्री प्रकाश चन्द्र बिष्ट	01.01.1958	सामान्य	08.11.2013	पदोन्नति द्वारा


हरबंस सिंह चुघ
सचिव।

संख्या: 500 / XII-2 / 2018 / 77(01) / 2007- तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर-2, ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल नैनीताल, उत्तराखण्ड।

3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर-1, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी एन0आई0सी0 सेन्टर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।